



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

1 पौष 1943 (श10)
(सं0 पटना 1020) पटना, बुधवार, 22 दिसम्बर 2021

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

अधिसूचना

16 दिसम्बर 2021

सं0-1/स्था0 (2) 02/2019/3443-बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-323, दिनांक-21.01.2019 के द्वारा विज्ञापन संख्या-01/2017 के तहत बिहार पशु चिकित्सा सेवा (मूल कोटि) के भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी एवं समकक्ष पदों पर नियुक्ति हेतु अनुशसित 581 अभ्यर्थियों में से विभागीय अधिसूचना संख्या-769-सह-पठित ज्ञापांक-770, दिनांक-07.03.2019 द्वारा 568 अभ्यर्थियों एवं विभागीय अधिसूचना संख्या-2209-सह-पठित ज्ञापांक-2210, दिनांक-24.07.2019 के द्वारा 2 अभ्यर्थियों को अद्योलिखित शर्तों की अधीन वेतनमान 9300-34800/- ग्रेड पे 5400/- पुनरीक्षित वेतनमान पे मैट्रिक्स वेतन स्तर-9 (रु0 53100-167800/-) में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ मात्र 6 माह के लिए औपबंधिक रूप से भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी एवं समकक्ष पदों पर नियुक्त कर पदस्थापित किया जा चुका है। शेष बचे अभ्यर्थियों में से निम्नवत् 2 अभ्यर्थियों को अद्योलिखित शर्तों के अधीन वेतनमान 9300-34800/- ग्रेड पे 5400/- पुनरीक्षित वेतनमान पे मैट्रिक्स वेतन स्तर-9 (रु0 53100-167800/-) में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ अस्थायी रूप से बिहार पशु चिकित्सा सेवा (मूल कोटि) के भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी एवं समकक्ष पदों पर नियुक्त कर उनके नाम के सामने स्तम्भ-9 में अंकित पद पर पदस्थापित किया जाता है :-

क्र० सं०	अभ्यर्थी का नाम/स्थायी पता	रौल नं०	मेधा क्रमांक	पिता/पति का नाम	गृह जिला	जन्म तिथि	आरक्षण कोटि	पदस्थापन स्थान
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	डॉ० ओंकार नाथ भास्कर पिता— श्री अमरेन्द्र मंडल, ग्राम+पोस्ट—बसहा, भाया—सुपौल, थाना—पिपरा, जिला—सुपौल—852131	101002	717	श्री अमरेन्द्र मंडल	सुपौल	02.12.1986	04	भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, राजपुर, बक्सर
2	डॉ० नीतु पिता— श्री जीतेन्द्र कुमार सिंह, ग्राम+पोस्ट—हुलासी टोला, थाना—मनेर, जिला—पटना—801108	100767	367	श्री जीतेन्द्र कुमार सिंह	पटना	30.07.1985	05	पशुपालन पदाधिकारी, मध्यम पशु विकास परियोजना (क्षेत्र), सकरी, दरभंगा

2. यह नियुक्ति अभ्यर्थियों के द्वारा समर्पित सत्यापन प्रपत्र/पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन अनुकूल होने के आधार पर की जा रही है। परंतु स्थायी नियुक्ति के क्रम में प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर इनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी।

3. यह नियुक्ति अभ्यर्थियों के द्वारा समर्पित निबंधन प्रमाण-पत्र की छायाप्रति में अंकित सूचनाओं को प्रथम दृष्टया सही मानकर की जा रही है। इस क्रम में प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर इनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी।

4. यह नियुक्ति अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण-पत्रों को सही मानकर इस शर्त पर की जा रही है कि भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण-पत्र/अभिलेख के संबंध में गलत सूचना पाये जाने की स्थिति में इनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

5. योगदान के समय अभ्यर्थियों को असैनिक शल्य चिकित्सक—सह—मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

6. योगदान के समय अभ्यर्थियों को अपने नियंत्री पदाधिकारी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, प्रमाण-पत्रों आदि का सत्यापन संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय/कार्यालय/संस्थान से किये जाने के पश्चात् ही वेतनादि का भुगतान किया जायेगा।

7. योगदान के समय अभ्यर्थियों को दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

8. बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प संख्या—1964, दिनांक—31.08.2005 एवं 768, दिनांक—03.07.2007 के अनुसार इन पदाधिकारियों पर नयी अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

9. सभी नव नियुक्त पशु चिकित्सक नियुक्ति पत्र निर्गत होने की तिथि से एक पक्ष के अंदर अपने पदस्थापन स्थान पर अपना योगदान समर्पित करेंगे।

10. उपर्युक्त नियुक्ति सी०डब्ल्यू०जे०सी० संख्या-1168/2019 प्रदीप कुमार निराला बनाम बिहार सरकार एवं अन्य तथा सी०डब्ल्यू०जे०सी० संख्या-1291/2019 डॉ० अजीत कुमार एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायनिर्णय के फलाफल से प्रभावित होगा।

11. इन अभ्यर्थियों की वरीयता आवंटनादेश/नियुक्ति आदेश वाले वर्ष में न होकर योगदान वाले वर्ष में योगदान के आधार पर मेधाक्रम में होगी।

12. अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने/योगदान हेतु पदस्थापित स्थान पर आने-जाने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

मुकेश कुमार 'मुकुल',

सरकार के उप-सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1020-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>